



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1189]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2014/ ज्येष्ठ 13, 1936

No. 1189]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2014/JYAISTHA 13, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2014

का.आ.1435(अ).—केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) में अध्यक्ष (अंशकालिक) के रूप में श्री राज रेवाल और सदस्यों (अंशकालिक) के रूप में श्रीमती सोनाली भगवती, श्री इरिक पी माल, श्री सतीश खन्ना और शहरी विकास मंत्रालय में अपर सचिव (शहरी विकास), की कार्यावधि को एतद्वारा 3 जून 2014 से तीन महीनों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

[सं. ए.11013/2/2011-डीडी-ए]

नरेन्द्र वशिष्ठ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2014

S.O. 1435(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby extends the period of tenure of Shri Raj Rewal, as Chairman (Part-time) and Smt. Sonali Bhagwati, Shri Eric P. Mall, Shri Satish Khanna and Additional Secretary (UD) in the Ministry of Urban Development, as Members (Part-time) in the Delhi Urban Art Commission (DUAC), for a period of three months with effect from 3rd June, 2014, or until further orders, whichever is earlier.

[No. A-11013/2/2011-DD-IA]

NARENDRA VASHISTA, Under Secy.